संख्या-1158/2026/655/22-2-2026-17(1665)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत (दिनांक 06.09.2025 तक 72 वर्ष 10 माह 19 दिन है), छैः थोक कस्बा, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। महेश्वरी प्रसाद की पत्नी आशा का महेश से अवैध सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 04.10.2005 को 01 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-103/2006, 104/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 07 माह 08 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 09 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (**03** लोगों की हत्या), बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद (बन्दी संख्या-341/21) पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1158/2026/655(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।